Maharashtra-Karnataka boundary issue

3063. DR. BAPU KALDATE:
SHRI SATISH PRADHAN:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken/ propose to take any fresh initiatives in resolving long pending Maharashtra-Karnataka boundary issue; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): (a) and (b) The Central Government is of the view that the issue has to be resolved essentially by the two State Governments by mutual discussions. Towards this end, the Central Government will extend all possible assistance.

Autonomous Statehood

3064. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whethter it is a fact that for the last seven years the Autonomous State Demand Committee has been spearheading a peaceful democractic agitation for granting autonomous statehood to the district councils of Karbi Anglong and North Cachar Hills;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Karbi Anglong and North Cachar Hill Districts of Assam are already governed by provisions of the Sixth Schedule of the Constitution, which provides for local autonomy. The representative organisations of the hill tribals of these districts are, however, demanding an autonomous State under Article 244-A of the Constitution. Government of Assam has proposed a comprehensive amendment to the Sixth Schedule of the Constitution as an alternative to the autonomous State. The Central Government, while favouring devolution of more powers to autonomous district councils for purposes of development is not in support of further re-organisation of Assam.

दिल्ली नगर निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति

3065. **श्री चतुरानन मिश्र:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली नगर निगम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शैक्षिक अर्हता स्नातक, उच्चतर माध्यमिक और मैट्रिक है और उन्हें अभी तक पदोन्नति न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) विगत वर्षों में निम्न श्रेणी लिपिक ग्रेड के लिए आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु ऐसे उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य था;

(ग) क्या अन्य श्रेणियों के लिए आयोजित परीक्षाओं में भी कोई छूट दी गई थी और उसके क्या कारण थे;

(घ) दिल्ली नगर निगम में 18 से 20 वर्ष की सेवा वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित योग्य अटेंडेंटों को पदोन्नति न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) अटेंडेंटों के मामले में लिखित परीक्षा आयोजित करने और उन्हें अर्हता के आधार पर पदोन्नति न देने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को भी लिखित परीक्षा के आधार पर पदोन्नत किया जाता है, यदि नहीं, तो अटेंडेंटों के मामले में ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि

योग्यता के आधार पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए, बी० ए०, उच्चतर माध्यमिक तथा मैट्रिक की योग्यता रखने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। तथापि, अवर श्रेणी लिपिक श्रेणी में 10% रिक्तियाँ, विभागीय परीक्षा के आधार पर भरी जाती है जिसके लिए 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले तथा जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं है, ऐसे कर्मचारी पात्र होते हैं। जहां तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में लिखित परीक्षा के अर्हता मानदण्डों में छूट देने का प्रश्न है, यह छूट, इस बारे में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अधीन अनुमत सीमा तक दी जाती है। अवर श्रेणी लिपिक के शेष पदों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित लिपिक श्रेणी परीक्षा के आधार पर भरा जाता है।

(घ) दिल्ली नगर निगम की केन्द्रीयकृत श्रेणी में "अटेंडेंट" का कोई पद नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(च) अन्य श्रेणियों में प्रोन्नति, कड़ाई से, सम्बद्ध पद के लिए भर्ती नियमों के प्रावधानों के आधार पर ही की जाती है।

Infiltration of Bangladeshi Muslims into India

3066. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a letter published in the Assam Tribune dated the 28th October, 1992 by a London based Indian alleging that infiltration of Bangladeshi Muslims into India is being planned by the Islamic Cultural Centre based in London and whether Government have this information from its own sources as well; and

(b) if so, whether the matter would be investigated both in India as well as in the U.K.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): (a) and (b) Government are aware of the news-letter as well as about the activities of London based Islamic Cultural Centre. The Centre is being financed and controlled by Saudi Arabia for organising the meetings, etc. in support of various Muslim issues. A number of steps have been taken both by the Central Government and the State Governments to prevent infiltration from Bangladesh into India.

पटाखों के कारण होने वाली क्षति को रोकने के लिये कदम

3067. श्री शांति त्यागी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दीपावली के अवसर पर झरिया (बिहार) में पटाखों की एक दुकान में लगी आग के कारण 25 व्यक्ति मारे गए थे और सैकड़ों घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो दीपावली के उत्सव में मौके पर पटाखों के कारण देश भर में कितने व्यक्ति मारे गए और आग लगने के कारण कितने स्थानों पर सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) क्या सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, जिनसे जान और माल की हानि होती है, कोई उपाय करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) राज्य अग्नि शमन अधिकारी, बिहार, से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार दीपावली के अवसर पर झरिया में (बिहार) पटाखों की दुकानों में लगी आग के कारण 23 व्यक्ति मारे गए और 15 जख्मी हुए।

(ख) विभिन्न राज्यों से उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार दीपावली त्यौहार के दौरान पटाखों के कारण 31 व्यक्तियों की जाने गई। इस बारे में अलग-अलग ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:—

दिल्ली — 4
हरियाणा — 4